नगरपालिका नीमकाथाना (मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना) उपविधियां, 2015

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) की धारा 339 (ख) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका, नीमकाथाना एतद्द्वारा निम्न उपविधियां स्वीकृत करती हैः–

टॉवर/पॉल एन्टीना नगरपालिका नीमकाथाना क्षेत्र में स्थापित किये जाने के संबंध में व्याप्त जन सुरक्षा व सुविधा, भवनों की सुरक्षा, नेटवर्क की कनेक्टीविटी, शहर को हेरिटेज स्वरूप की रक्षा, अप्रत्याशित दुर्धटनाओं से बचाव के कार्य, सुगम यातायात एवं बेहतर नगरीय सेवा के लिए जनहित में, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्श 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत शक्तियों कर प्रयोग करते हुए नगरपालिका, नीमकाथाना निम्न उपविधि बनाती हैः–

1. शीर्शक, सीमा एवं प्रभावः–

(क) यह उपविधियां नगरपालिका, नीमकाथाना (मोबाइल टॉवर/पोल एन्टीना) उपविधियां, 2015 कहलायेगी।
(ख) यह उपविधियां नगरपालिका नीमकाथाना की समस्त भौगोलिक सीमाओं में प्रभावशील होगी।
(ग) यह उपविधियां नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक दिंनाक 11.02.2015 की स्वीकृति दिनांक से प्रभावशील होंगी।

2. शाब्दिक परिभाषाएः– जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगीः–

(i) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।

(ii) समिति से तात्पर्य नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अंतर्गत समिति से है।

(iii) स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगरपालिका नीमकाथाना से है।

(iv) उपयोग व उपभोग से तात्पर्य सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टॉवर/पॉल एन्टीना लगाने से है।

(v) अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत टॉवर/पोल एन्टीना पंजियन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

(vi) "**अध्यक्ष**" से तात्पर्य नगरपालिका के अध्यक्ष से है।

(vii) "**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**" से तात्पर्य नगरपालिका के अधि ाासी अधिकारी से है।

(viii) **अधिकृत प्राधिकारी** से तात्पर्य स्थानीय निकाय के अधि ाासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये अधीनस्थ अधिकारी से है। अधि ाासी प्राधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति एवं संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

(ix) **टॉवर/पोल एन्टीना** से तात्पर्य नगरपालिका नीमकाथाना सीमा क्षेत्र में स्थित ऐसे समस्त भूमि अथवा भवन/फार्मो/सामुदायिक केन्द्रों/क्लबों/बैंक्वेट हॉल इत्यादि पर लगे टॉवर/पोल एन्टीना से है, जो सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है।

(x) इन उपविधियों के साथ जो शब्द यहाँ परिभाशित नहीं किये हैं, उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होंगी।

3. निषेद्धः– स्थानीय निकाय की सीमा में कोई व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी इत्यादि स्थानीय निकाय की अनुमति/लाईसेन्स प्राप्त किये बिना सेल्यूलर फोन्स, इन्टरनेट, टेलीविजन, रेडियो एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए किसी प्रकार की भूमि अथवा भवन पर प्रसारण हेतु टॉवर/पोल ऐन्टीना, स्थानीय निकाय की बिना लिखित स्वीकृति के स्थापित या उपयोग अथवा दोनों नहीं कर सकेगा। इन उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व में स्थापित टॉवर/पोल/ऐन्टीना हेतु नियत समय में, नियत प्रक्रिया से, नियत शुल्क के साथ आवेदन कर अनुमति/लाईसेंस प्राप्त करना होगा अन्यथा अवैध मानकर स्थानीय निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

लगातार............2

4. **अनुमति प्राप्त करने की प्रणालीः–** कोई व्यक्ति, संस्था, कम्पनी स्थानीय निकाय सीमा में स्थित भूमि अथवा भवन / फार्मों / सामुदायिक केन्द्रों / क्लबों / बैंक्वेट हॉल इत्यादि पर टॉवर / पोल एन्टीना लगाना चाहता है अथवा इन

लगातार............2

उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व ही लगा चुका है, उसे स्वीकृति कि लिए संबंधित अधि ाासी अधिकारी को निर्धारित आवेदन–पत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र का शूल्क 1000/– रुपये होगा।

(i) सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य प्रकार के प्रसारण के लिए भवनों की छतों व खुले प्रसारण टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाये जाने हेतु आवेदनः–

(अ) कोई भी व्यक्ति या संस्था या कम्पनी इत्यादि द्वारा अकेले अथवा भागीदारी में स्थानीय निकाय की सीमा में स्थापित करने से पूर्व अथवा इन उपविधियों के प्रभावी होने से पूर्व में स्थापित टॉवर/पोल ऐन्टीना हेतु इन उपविधियों के प्रभावी होने से 15 दिवस के अन्दर, जैसा भी मामला हो, स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित शूल्क के साथ, इस निमित स्थानीय निकाय को आवेदन करना होगा।

(ब) आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क, केन्द्रीय/राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया व्यावसायिक लाईसेंस, भवन मालिक का सहमति पत्र, स्ट्रेक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट, टॉवर/पोल ऐन्टीना एवं अस्थायी निर्माण से संबंधित अधिकृत डिजाइन, ड्राइंग्स इत्यादि इस उपविधि अनुसार संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन–पत्र पालिका द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त आवेदनकर्ता को भेजे जाने वाले सूचना पत्र द्वारा भवन/भूखण्ड मालिक के साथ किये गए पंजीकृत लीज एग्रीमेंट अथवा समकक्ष दस्तावेज की मांग की जावेगी एवं यह प्राप्त होने पर पालिका द्वारा अनुज्ञा–पत्र जारी किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था या कम्पनी इत्यादि से आवेदन प्राप्त होने पर अधि ाासी अधिकारी,ऐसे
आवेदन को आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर प्राप्त आवेदन की जांच कर, भवन
निर्माण एवं सकंर्म समिति को, अनिवार्य रूप से भिजवायेगा। परन्तु यदि अधि ाासी अधिकारी आवेदन प्राप्त
होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर जांच पूरी नहीं करता है तो यह जांच समिति द्वारा की जावेगी।

(स) समिति को कोई भी आवेदन प्राप्त होने पर समिति ऐसा आवेदन प्राप्त होन से 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर ऐसे आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का निर्णय करेगी। समिति के अस्तित्व में नहीं होने की दशा में या 15 दिवस में समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्र ाासनिक समिति, प्रथम बार आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिवस में निर्णय लेंगी।

(ii) **अनुज्ञा पत्र की अवधिः** अनुज्ञा पत्र पांच वर्श की अवधि के लिए ही जारी किया जा सकेगा। संबंधित अधिकृत समिति/ प्र ाासनिक समिति को अनुज्ञा–पत्र हेतु आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(iii) **सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमतिः** प्रस्तावित टॉवर/पोल ऐन्टीना के निर्माण संबंधी किसी भी सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमति की आवश्यकता हो तो वह अनुज्ञाधारी अपने स्तर से प्राप्त करेगा।

(iv) **टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु स्ट्रक्चरः** टॉवर/पोल ऐन्टीना से संबंधित सम्पूर्ण स्ट्रक्चर अस्थाई होगा, लेकिन ढांचागत सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

(v) **तडित चालक इत्यादि का प्रावधानः** अनुज्ञाधारी द्वारा अग्नि व आकाश में उत्पन्न बिजली से सुरक्षा हेतु तडित चालक का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) **भवन एवं नागरिको की सुरक्षाः** अनुज्ञाधारी द्वारा भवन व आम नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना होगा। जिन भवनों पर मोबाइल टॉवर लगाने हो, उनकी संरचना मजबुत एवं स्टील के कॉलम बेस तथा तकनीकी दृष्टि में भूकम्परोधी एवं तेज गति से आने वाले तूफानों को सहन करने की क्षमता वाले हो।

(vii) **सरंचना एवं स्थिरता प्रमाण–पत्र** : भवन जिस पर टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाया जाना प्रस्तावित है, की सरंचना एवं स्थिरता (Structural design & stability) बाबत् निम्न में से किसी एक संस्था से प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(a) M.N.I.T. Jaipur/ BITS Pilani/ Any Government Engg. College, Rajasthan.

(b) Rail India Technical & Economic Service, Delhi (RIES).

लगातार............3

(c) National Council for Building Material, Faridabad.
(d) Executive Engineer Concerned, Public Works Department, Rajasthan.
(e) Government Registered Chartered Engineers (Including those registered with ULBs)

5. प्रक्रियाः अधि ासी अधिकारी द्वारा, पहली बार टॉवर/पोल ऐन्टीना पंजियन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति नगरपालिका मुख्यालय, संबंधित वार्ड के संबंधित भवन पर चस्पा कराकर आपति मांगी जाएगी। 7 दिवस में आपति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियानुसार टॉवर/पोल ऐन्टीना का पंजियन किया जा सकेगा। यदि आपति प्राप्त होती है तो आपतिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण स्थानीय निकाय की संबंधित समिति द्वारा किया जाएगा। पूर्व में स्थापित टॉवर /पोल ऐन्टीना पर भी यह प्रक्रिया लागू होगी।

6. अपील : टॉवर /पोल ऐन्टीना की अनुमति/लाइसेंस के लिये प्राप्त आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति या नियत समय में किसी भी स्तर पर निर्णय नहीं होने पर अर्थात् अनिर्णय पर, ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति या अनिर्णय बाबत् आपति प्रार्थना–पत्र ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति या अनिर्णय की जानकारी होने से 30 दिवस के अन्दर नियम उपनियम समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा। आपति प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नियम उपनियम समिति द्वारा किया जावेगा।

7. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमाः स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन–पत्र प्राप्त होने की 60 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

8. प्रतिबंधितः

(a) सूचीबद्व पुरातत्व एवं हैरिटेज से संबंधित किसी भी भवन पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

(b) स्कूल, अस्पताल पर टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

9. टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु सड़क की अपेक्षित न्यूनतम चौड़ाईः खुले स्थानों/भूखण्डों/भवनों नये टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल की एप्रोच सड़क 30'–0' फीट से कम नहीं होनी चाहिए। परन्तु पूर्व में लगे हुए टॉवर/पोल ऐन्टीना के स्थलों के एप्रोच रोड़ की चौड़ाई 30' फिट होने की बाध्यता नहीं होगी। परन्तु विशेश परिस्थितियों में सड़क की चौड़ाई में छूट दिये जाने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जा सकेगा।

10. टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु न्यूनतम भूखण्ड की माप अपेक्षितः खुले स्थानों पर टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थापित करने हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 900 वर्ग फिट होना आवश्यक है परन्तु भूखण्ड की लम्बाई व चौडाई प्रत्येक 20 फीट से कम नहीं होगी। परन्तु कम से कम चारों और 5 फिट का सेटबैक छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

11. टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु भूखण्ड का स्वामी के साथ लिखित अनुबंध अपेक्षित : टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थापित किये जाने हेतु भवन अथवा भूखण्ड स्वामी एवं आवेदक के मध्य विधिक रू्प से पंजिकृत अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।

12. टॉवर/पोल ऐन्टीना सहभागी आधार पर लगाने की अनुमति : एक टॉवर/पोल ऐन्टीना पर शेयरिंग बेसिस पर मूल अनुज्ञाधारी की सहमति से अतिरिक्त ऐन्टीना लगाने हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी, यदि वह अन्य सभी दिशा–निर्देशों को पूरा करते हैं। एक टॉवर/पोल ऐन्टीना का आवेदन अकेले अथवा सहभागिता के आधार पर किया जा सकेगा। परन्तु एक टॉवर/पोल ऐन्टीना के आवेदन पर स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति/लाइसेंस जारी करने के पश्चात् ऐसे टॉवर/पोल ऐन्टीना पर भागीदारी, स्थानीय निकाय की पूर्व सहमति, आवेदन के लिए विहित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य है।

13. ध्वनि प्रदूशण से मुक्त डी.जी. सेट आवश्यक : प्रसारण टॉवर/पोल ऐन्टीना के संचालन के लिए ध्वनि प्रदूशण से मुक्त डी.जी. सेट लगाना नियमानुसार अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु आवश्यकतानुसार अनुमति अलग से संबंधित संस्था से प्राप्त करनी होगी।

14. हेरिटेज घोशित किये जाने पर टॉवर/पोल ऐन्टीना हटाया जाना : भवन/भूखण्ड को हेरिटेज घोशित किये जाने पर उस पर स्थापित टॉवर/पोल ऐन्टीना तत्काल हटाये जाएंगे।

लगातार............4

15. टॉवर/पोल ऐन्टीना अनुज्ञापत्रधारी से निम्नानुसार शूल्क लिया जायेगाः—

(i) **टॉवर हेतु पंजीयन व वार्शिक शुल्कः** प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु 15,000/— (अक्षरे पन्द्राह हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में नगरपालिका नीमकाथाना में जमा कराने होंगे।

लगातार............4

यदि एक टॉवर दो से अधिक सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा 15000/– (अक्षरे पन्द्राह हजार रूपये) रजिस्ट्रशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में जमा कराना होगा, लेकिन यदि उस सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त ऐन्टीना एवं टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापस लौटाने जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टॉवर हेतु वार्शिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10 रूपये प्रतिवर्ग फीट या 5000/– जो भी अधिक हो, अदा करने होंगे।

(ii) **पोल ऐन्टीना हेतु पंजियन व वार्शिक शुल्क** : पोल ऐन्टीना हेतु प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ पोल ऐन्टीना लगाने हेतु 5000/– (अक्षरे पाच हजार रूपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में नगरपालिका नीमकाथाना में जमा करवाने होंगे।

यदि एक पोल ऐन्टीना अन्य सेवा प्रदाता द्वारा शेयर किया जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त ऐन्टीना हेतु आवेदक द्वारा 5000/– (अक्षरे पाच हजार रूपये) जमा कराने होंगे लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त ऐन्टीना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोल ऐन्टीना हेतु वार्शिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/– रूपये प्रति वर्गफीट या 2000/– रूपये जो भी अधिक हो, अदा करने होंगे।
नोटः–पोल ऐन्टीना से तात्पर्य ऐसे पोल से है जो एक या एक से अधिक मुख्य टॉवर्स से उपभोगता के सम्पर्क संप्रेषण को अतिरिक्त प्रभावशाली बनाने हेतु स्थापित किये जाते है।

(iii) **पूर्व में स्थापित टॉवरो की अनुज्ञा के संबंध में** : वर्तमान में स्थापित टॉवरो के संबंध में पंजीकरण फीस 15000/–(अक्षरे पन्द्राह हजार रूपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर–अन्दर अनुज्ञा हेतु नगरपालिका नीमकाथाना में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही आदेश के जारी होने की दिनांक से वार्शिक अनुज्ञा शुल्क 10/– रूपये प्रतिवर्ग फीट या 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलीय होगा।

(iv) **पूर्व में स्थापित पोल ऐन्टीना के पंजियन व वार्शिक शुल्कः** वर्तमान में स्थापित पोल ऐन्टीना के संबंध में पंजिकरण फीस 5000/– (अक्षरे पाच हजार रूपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर–अन्दर अनुज्ञा हेतु नगरपालिका नीमकाथाना में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से वार्शिक अनुज्ञा शुल्क 10/– रूपये प्रति वर्गफीट या 2000/– (अक्षरे दो हजार रूपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलीय होगा।

(v) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के साथ प्राप्त ऐसे आवेदन, जिन्हें पालिका द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, उनकी रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क की राशि आवदेक को लौटा दी जावेगी।

(vi) **विलम्ब से फीसः** विलम्ब से फीस/राशि अदा करने पर 18% वार्शिक दर से अतिरिक्त ब्याज नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा वसूल किया जायेगा तथा तीन माह तक की अनुज्ञा राशि अदायगी नहीं होने पर जारी अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा टॉवर/पोल ऐन्टीना से संबंधित मशीन एवं स्ट्रेक्चर को नगरपालिका नीमकाथाना जब्त कर सकेगी।

16. नवीनीकरणः अनुज्ञा–पत्र नवीनीकरण फीसः अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञा अवधि पूर्ण होने के एक माह पुर्व अनुज्ञा–पत्र की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन मय अनुज्ञा–पत्र आवेदन हेतु उक्त उपविधि के क्लाज 15(i) व (ii) में निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।

17. राजकीय विभागो से शुल्क वसूलनीय नहीं होगाः पुलिस, सुरक्षा बल एवं सरकारी विभाग द्वारा टॉवर/पोल ऐन्टीना के संबंध में कोई शुल्क वसूलनीय नहीं होगा।

18. टॉवर/पोल ऐन्टीना को हटाने के आदेश पर इन्हें हटाया जाना आवश्यक होगाः नगरपालिका नीमकाथाना/राज्य सरकार, संस्था द्वारा टॉवर/पोल ऐन्टीना को हटाने हेतु, आदेश दिये जाने पर, कम्पनी को तुरन्त टॉवर/पोल ऐन्टीना हटाना होगा । यदि टॉवर/पोल ऐन्टीना को नहीं हटाया जाता है तो नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा अपने स्तर से उक्त टॉवर/पोल ऐन्टीना को हटाकर जब्त कर लिया जायेगा तथा उक्त कार्यवाही होने पर व्यय की राशि अनुज्ञाधारी/संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय होगी।

लगातार............5

19. टॉवर/पोल ऐन्टीना की जब्तीः बिना अनुमति/अनुज्ञा के लगाये टॉवर/पोल ऐन्टीना को नगरपालिका नीमकाथाना जब्त कर सकेगी एवं उसको हटाने का व्यय संबंधित से वसूलनीय होगा एवं अन्य कानूनी कार्यवाही उनके विरूद्ध की जावेगी।

लगातार............5

20. टॉवर/पोल ऐन्टीना एवं भवन इत्यादि नुकसान पर हर्जा के संबंध में: टॉवर/पोल ऐन्टीना एवं भवन इत्यादि से नुकसान पर हर्जा के संबंध में प्रत्येक प्रकार के हर्जे, नुकसान इत्यादि लिए स्वयं अनुज्ञाधारी/भवन मालिक जिम्मेदार होगा तथा राज्य सरकार अथवा नगरपालिका नीमकाथाना की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

21. टॉवर/पोल ऐन्टीना का सर्वेक्षणः नगरपालिका नीमकाथाना अपने क्षेत्र में स्थापित सभी टॉवर/पोल ऐन्टीना का सर्वेक्षण इस आदेश के जारी होने के एक माह के अन्दर–अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु पालिका द्वारा एक रिकॉर्ड रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

22. भवन पर टैक्स/फीस निकाय की बकाया होने पर अनुज्ञा देय नहीं होगीः ऐसे भवन एवं प्लॉट में टॉवर/पोल ऐन्टीना लगाने हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकेगी जिसकी मालिको द्वारा नगरपालिका नीमकाथाना को देय किसी भी टैक्स/फीस इत्यादि अदा नहीं की गई हों।

23. निकाय के जांच का अधिकारः नगरपालिका नीमकाथाना को समय–समय पर टॉवर/पोल ऐन्टीना की जांच करने बाबत् पूर्ण अधिकार होगा। जांच अधिकारी, सहायक निरीक्षक/कनिश्ठ अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कम का नहीं होगा।

24. अभियोजनाः नगरपालिका नीमकाथाना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो सहायक निरीक्षक/कनिश्ठ अभियन्ता से कनिष्ठ पद का नहीं होगा, टॉवर/पोल ऐन्टीना का स्थल निरिक्षण कर सकेगा। यदि निर्देशित शर्तो उपविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 7 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित करेगा/ अनुमति प्राप्तकर्ता, यदि 7 दिवस में उल्लंघनों की पूर्ती कर, रिपोर्ट नहीं करता है, तो प्रकरण अधिशाशी अण्धिकारी द्वारा पालिका की सक्षम समिति के समक्ष रखा जावेगा तथा समिति द्वारा, अनुमति–पत्र निरस्त किया जाकर, संबंधित प्रदत शक्तियों से, टॉवर/पोल ऐन्टीना स्थल का स्थानीय उपविधियों के अन्तर्गत सीज किया जाकर दोशी व्यक्ति, संस्था कम्पनी के विरूद्व अभियोजन समक्ष न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इन उपविधियों में किसी भी उपविधि का उल्ल्धंन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये) प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा।

25. स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षितः टॉवर/पोल ऐन्टीना अनुमति–पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय निकाय को टॉवर/पोल ऐन्टीना हेतु जारी अनुमति–पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट के बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

26. वर्तमान में पालिका में लंबित अतंरण के प्रकरण, सिवाय आवेदन शुल्क व सूचना के प्रारूप के अलावा अन्य सभी नियम लंबित प्रकरणों पर लागू होंगे तथा पालिका में प्रचलित नियमों के अनुसार ही निस्तारण होगा।

27. निरसन और व्यावृतियांः– इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी, लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा।

साधारण सभा की आज्ञा से।